बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत गणतंत्र सरकार
और
द रिसर्च फाउंडेशन –फ्लेंडर्स (एफडब्ल्यूओ)
के बीच जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग
के लिए
समझौता ज्ञापन

एफडब्ल्यूओ और बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत गणतंत्र सरकार (जिन्हें अब पक्षकार कहा जाएगा)।

जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को मान्यता देते हुए भारत और फ्लेंडर्स में वैज्ञानिक सहयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए;

इन लाभों की पुन: पुष्टि करते हुए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत- फ्लेंडर्स द्विपक्षीय संबंध बन सकते हैं;

उन सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को मान्यता देते हुए जिन्हें जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और फ्लेंडर्स के बीच उत्पन्न किया जा सकता है;

जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और फ्लेंडर्स के बीच समानता और आपसी लाभ के आधार पर सहयोग को मजबूत करने की इच्छा रखते हुए और इस बात को समझते हुए कि ऐसा सहयोग भारत और फ्लेंडर्स के बीच मित्रता को बढ़ाएगा और मजबूत करेगा तथा उनके विकास में योगदान करेगा।

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं:

पैराग्राफ I

(i) यह समझौता ज्ञापन एक करार फ्रेमवर्क है जो वैज्ञानिक सहयोग* विकसित करने के लिए भारत में व्यक्तिगत अनुसंधान संस्थानों और फ्लेंडर्स में विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करेगा।

(ii) अत: पक्षकार भारत और फ्लेंडर्स के बीच जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के विकास को बढ़ावा देने और जैवप्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों में भारत और फ्लेंडर्स के लिए आपसी हितों के विशिष्ट विषयों पर संयुक्त सहयोग की सुविधा करने का निर्णय लिया है जिनमें ऐसा सहयोग वांछनीय हैं जिसके लिए ऐसे अनुभव को हिसाब में लिया जाएगा जो भारत और फ्लेंडर्स में वैज्ञानिकों और विशषज्ञों ने हासिल किया है और जो संभावना मौजूद है।

(iii) पक्षकारों की आपसी लिखित सहमति से इस कार्यक्रम के साथ भारत सरकार की अन्य एजेंसियों को जोड़ा जाए।

---

*अनुसंधान परियोजना फ्लेमिश समुदाय में विश्वविद्यालय अथवा उन सरकारी रूप से पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में चलाई जा सकती है जो पीएचडी की डिग्री दे सकते हैं अथवा निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में चलाई जा सकती है:
वलेरिक बिजनेस स्कूल (वलेरिक); अंतवर्प मेनेजमेंट स्कूल (यूएएमएस); इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेडिसन (आईटीजी); विकास नीति और प्रबंधन संस्थान (आईओबी); इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन स्टडीज (आईईएस); इंस्टीट्यूट ऑफ जेवियस स्टडीज़ (आईजेएस); अंतवर्प मेरिटाईम एकेडमी (नोटिकल साईंस)। जहां उचित हो वहां फ्लेमिश अथवा फेडरल वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग में अनुसंधान परियोजना चलाई जा सकती है। गतिशीलता परियोजनाओं के लिए उपर्युक्त संस्थानों के अलावा वैज्ञानिक संस्थानों के डच भाषा बोलने वाले समुदायों के वैज्ञानिक कर्मचारी भी अब आवेदन कर सकते हैं।

पैराग्राफ II

(i) पक्षकार अपने राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार विशिष्ट रूप से शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय विकास में सहयोग करेंगे। यह सहयोग जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र कवर करेगा। पक्षकारों के बीच लिखित में विशिष्ट क्षेत्रों पर सहमति होगी।

(ii) सहयोग में सूचना का आदान-प्रदान शामिल हो सकता है लेकिन इसमें ऐसी कोई गोपनीय सूचना शामिल नहीं होगी जिसे करार करने वाले पक्षकार बताने के लिए स्वतंत्र न हों।

(iii) सहयोग में वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का आदान-प्रदान तथा युवा वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से निष्पादित करना भी शामिल हो सकता है।

(iv) सहयोग में अग्रिम में प्रतिभागी संस्थानों द्वारा सहमत क्षेत्रों को कवर करते हुए संयुक्त सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना भी शामिल हो सकता है।

पैराग्राफ III

समझौता ज्ञापन के अधीन चलाई जाने वाली सहयोगात्मक गतिविधियों को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए:

(i) सभी सहयोगात्मक गतिविधियां उच्च वैज्ञानिक मानक की और विज्ञान की उन्नति के लिए लाभकारी होनी चाहिए

(ii) प्रत्येक सहयोगात्मक गतिविधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आपसी तथा समानता के आधार पर निष्पादित की जाने वाली द्विपक्षीय सहयोग परियोजना के रूप में महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

पैराग्राफ IV

पैराग्राफ I के अनुसार सहयोग निष्पादन की अवधि में कोई आविष्कार अथवा खोज की गई हो या प्रकट हुई हो के संबंध में पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

(i) भारत और फ्लेंडर्स में मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार संस्थानों के बीच किसी प्रकार के व्यक्तिगत करार पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रतिभागी संस्थानों द्वारा आविष्कार, खोज अथवा पेटेंट अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए।

पैराग्राफ V

(i) इस समझौता ज्ञापन के फ्रेमवर्क के अंदर चलाई जाने वाली गतिविधियों से संबंधित खर्चे व्यक्तिगत प्रतिभागी अनुसंधान संस्थानों द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) गतिशीलता विनिमय कार्यक्रम के लिए आवास और स्थानीय मेजबानी मेजबान देश द्वारा वहन की जाएगी, जब कि हवाई यात्रा का व्यय मूल देश द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) समझौता ज्ञापन प्रत्येक पक्ष के नियम और विनियम लागू होने की शर्त के अध्यधीन हैं।

पैराग्राफ VI

इस समझौता ज्ञापन के अधीन सहयोगात्मक कार्य में भागीदार प्रत्येक अनुसंधान संस्थान इसके सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

पैराग्राफ VII

इस समझौता ज्ञापन में पक्षकारों की आपसी सहमति और लिखित करार द्वारा संशोधन अथवा आशोधन किया जा सकता है।

पैराग्राफ VIII

यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रचालन में आएगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें पक्षकारों की लिखित सहमति द्वारा इसे और 5 वर्ष जारी रखने की संभावना मौजूद होगी। इसे इसकी अवधि समाप्त होने से पहले अन्य पक्षकार को लिखित में किसी भी पक्षकार द्वारा 6 महीने की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

गवाहों की मौजूदगी में इसके लिए विधिवत अधिकृत निम्नलिखित ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अंग्रेजी, डच और हिंदी भाषाओं में मूल रूप से 3 प्रतियों पर दिनांक २ मई, २०१६ को ब्रुसेल्स में हस्ताक्षर किए गए, सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं।

मंजीव सिंह पुरी
राजदूत
ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास
भारत सरकार

फिलिप मेटर्स
फ्लेमिश मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, इकॉनोमी, इनोवेश एंड स्पोर्टस
फ्लेंडर्स सरकार